राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड़
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302 005

क्रमांकः आईपीआई / पी.6 / पॉलिसी / 323 / 2024 / 360
दिनांकः 15 अप्रैल, 2025

आदेश (10 / 2025)

उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.4(10)उद्योग / 1 / 91 दिनांक 13.01.1995 एवं पश्चातवर्ती पत्रों, आदेशों एवं परिपत्रों के प्रभाव से राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) के औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित कृषि भूमि के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए जाने की आवश्यकता थी।

इस संबंध में राज्य के वित्तीय वर्ष 2024–25 के परिवर्तित बजट के बिन्दु संख्या 174(I) में "निवेश प्रोत्साहन हेतु रीको एरिया से 1 कि.मी. की परिधि में भी Land Conversion के लिए रीको की अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता समाप्त करने की घोषणा" की गयी। इस बजट घोषणा के अनुसरण में उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.4(41)उद्योग / 1 / 2024 दिनांक 04.09.2024 जारी किये गये है, जिसके अनुसार राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सभी पूर्ववर्ती पत्रों, आदेशों एवं परिपत्रों को इस निर्बधन की सीमा तक अधिक्रमित करते हुए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) के औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा से बाहर स्थित भूमि के भू–रूपांतरण के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए जाने की आवश्यकता को एतद्द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

अतः उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 4(41)उद्योग / 1 / 2024 दिनांक 04.09.2024 की अनुपालना में रीको के पूर्ववर्ती कार्यालय आदेश (6 / 2010) क्रमांक आईपीआई / पी–6 / आईडीसी / 2 के एक्स / 3532 दिनांक 26.02.2010 को इस निर्बधन की सीमा तक अधिक्रमित करते हुए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) के औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा से बाहर स्थित भूमि के भू–रूपांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए जाने की आवश्यकता को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

यह आदेश अध्यक्ष, रीको की स्वीकृति से एवं आधारभूत संरचना समिति (आईडीसी) की कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा (in anticipation of approval) में जारी किया जाता है।

15/04/25
(सुभाष महरिया)
सलाहकार (इन्फ्रा)